न्यायालय में, सदस्य महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, म0प्र0

निगरानी 62-III-15

(256)

श्री ब्रजेश चतुर्वेदी एड. द्वारा पेश। 30-12-14

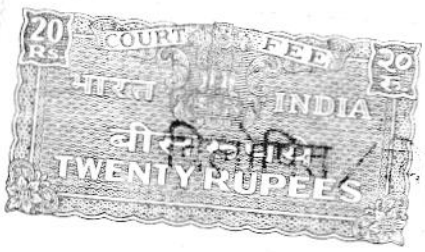

COURT FEE 20 Rs भारत INDIA TWENTY RUPEES

1— मनीष कुमार अग्रवाल पिता स्व0 श्री धर्मदास अग्रवाल

2— उमेश कुमार अग्रवाल पिता स्व0 श्री धर्मदास अग्रवाल

3— आशीष कुमार अग्रवाल पिता स्व0 श्री धर्मदास अग्रवाल

सभी निवासी वार्ड नम्बर 03 कोतमा थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

858 / 30-12-14

---------- निगरानीकर्तागण

बनाम

1— अग्रवाल समाज जरिये अध्यक्ष सुरेशचन्द्र अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 06 भारतीय स्टेट बैंक के पीछे कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

2— लक्ष्मण प्रसाद ब्राम्हण पिता श्री बाबूराम ब्राम्हण निवासी वार्ड नम्बर 7 एलआईसी के पास कोतमा थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

3— राजस्व निरीक्षक मण्डल कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

4— म0प्र0 शासन ---------- उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

क्रमांक 4240 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 12-1-15 को प्राप्त

प्रार्थी / निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है :--

प्रश्नाधीन आदेश

कार्यालय ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा जिला अनूपपुर संभाग शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक–01 / अ–12 / 2013–14 , आदेश दिनांक–12.11.2014, (अग्रवाल समाज बनाम म0प्र0 शासन) जिसके माध्यम से निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुये उत्तरदाता क्रमांक 01 अग्रवाल समाज द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोतमा, पटवारी हल्का कोतमा नम्बर 13, राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नम्बर 1213 / 3 / क रकवा 0.397 हेक्टेयर निगरानीकर्तागण की स्वत्व भूमिस्वामित्व की आराजी है जिसके पूर्व

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-62-तीन/2015 जिला अनूपपुर मनीष विरूद्ध अग्रवाल समाज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील कोतमा के प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-11-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 01/02/2019 सदस्य	